

## संशोधित बैच गठन सूचना



### राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

दिनांक 14.03.2028 को आयोजित होने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, (लोक अदालत) विनियम 2009 यथा संशोधित विनियम 2019 के प्रावधानों के नियम 6 (ख) की पालना में माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर के निर्देशानुसार राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के स्तर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के आसीन माननीय न्यायाधिपतिगणों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की बैचों का गठन पूर्व में पत्र क्रमांक 97-105 दिनांक 07.03.2026 द्वारा किया गया था। उक्त संबंध में निर्देशानुसार बैचों का पुनर्गठन अग्रलिखितानुसार किया गया है-

#### राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 1

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् सुनिल बेनीवाल  
Ms. पिंटू पारीक, अधिवक्ता

(Court No. 20)

अध्यक्ष  
मनोनीत सदस्य

#### राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 2

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् संदीप शाह  
श्रीमती सपना वैष्णव, अधिवक्ता

(Court No. 15)

अध्यक्ष  
मनोनीत सदस्य

#### राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 3

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् बलजिंदर सिंह संधू  
श्रीमती अक्षिति सिंघवी, अधिवक्ता,

(Court No. 21)

अध्यक्ष  
मनोनीत सदस्य

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14.03.2028 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 तक किया जायेगा।